

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2(F) / पी-64 / 2018 /

दिनांक:—

### आदेश

श्रीमती पुष्पा, नर्स-2, (परिवीक्षाधीन) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कवास जिला बाडमेर का चिकित्सा प्रमाण-पत्र (स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

क्र. सं.	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस में	अवकाश का प्रकार
1	09.07.17	—	01	असाधारण अवकाश
2	06.08.17	—	01	
3	17.11.17	—	01	
4	06.12.17	08.12.17	03	
5	24.12.17	25.12.17	02	
कुल योग			08	

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—*sc*

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2(F) / पी-64 / 2018 / 167

दिनांक:— 6-2-2019

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कवास जिला बाडमेर।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश / रक्षित पत्रावली।

—*X*

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर